न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर–2 मुरादाबाद।

राज्य प्रति

13.07.2019– पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तु। अभियुक्त उपस्थित है। अभियुक्त द्व ारा जुर्म स्वीकार करते हुए वाद के निस्तारण की याचना की गयी। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त जुर्म स्वीकार किये जाने के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त को धारा–भा0द0सं0 में दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्त को मु0 20/अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त एक दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नंबर–2 मुरादाबाद।